(c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.

(d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 14/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 693(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यकलाप या संव्यवहार जिसमें उन्हें सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में नियोजित किया गया है, को न तो माल की पूर्ति न ही सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:-

"संविधान के अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को सौपे गए किसी कृत्य के संबंध में किसी कार्यकलाप के माध्यम से सेवा ।"

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 14/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 693(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the Central Government or State Government or any local authority in which they are engaged as public authority, shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of service, namely:-

"Services by way of any activity in relation to a function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 15/2017- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 694(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के

प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 15/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Central Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 16/2017- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,--

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :--

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरिय कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,-

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित केंद्रीय कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;